माननीय ए. एल. बहरी, अशोक भान और जवाहर लाल गुप्ता,

न्यायाधीश

बिजेन्दर सिंह और अन्य-याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य और एक और,-उत्तरदाता।

1992 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 174

13जुलाई, 1994

भारत का संविधान-1950 कला।14, 16, 226 & 309–हरियाणा सरकार, दिनांक 20 जनवरी, 1988 के निर्देश-क्लर्कों का चयन-अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा मांग से अधिक चयन अवैध है-बोर्ड के पास पदों की संख्या बढ़ाने या सरकारी मांग से कहीं अधिक उम्मीदवारों की सिफारिश करने का कोई अधिकार क्षेत्र या शक्ति नहीं है-चयनित उम्मीदवारों को नियुक्त होने का कोई अक्षम्य अधिकार नहीं मिलता है-1988 के सरकारी निर्देश जो प्रतीक्षा सूची को केवल एक वर्ष के लिए वैध बनाते हैं-प्रतीक्षा सूची उसके बाद समाप्त हो जाएगी।

यह मानते हुए कि बोर्ड को केवल 662 पदों के लिए अनुरोध प्राप्त हुए थे, इसने 5373 उम्मीदवारों का चयन किया।यदि इन सभी चयनित

उम्मीदवारों की नियुक्ति की जानी थी, तो वे सभी व्यक्ति, जो पदों की उपलब्धता की तारीख तक या आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के बाद पात्र हो गए होंगे, 4500 से अधिक पदों के संबंध में आवेदन करने के अवसर से वंचित हो जाएंगे।ऐसे व्यक्तियों को राज्य के तहत पदों के खिलाफ विचार करने का कोई मौका नहीं मिलेगा।इन पदों के संबंध में अनुच्छेद 16 में निहित गारंटी का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया जाएगा।

(पैरा 10)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि राज्य इस तरह से कार्य करने के लिए बाध्य है कि अनुच्छेद 16 के तहत गारंटी का उल्लंघन न हो।यदि राज्य कुछ पदों का विज्ञापन करने के लिए आगे बढ़ता है और यह स्थापित होता है कि विज्ञापन की तारीख पर केवल 662 पद उपलब्ध थे या उचित समय के भीतर अनुमानित किए जा सकते थे, तो यह उन रिक्तियों को भरने के लिए उम्मीदवारों का चयन नहीं कर सकता है जो वास्तव में विज्ञापित किए गए हैं।

(पैरा 11)

इसके अलावा, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के पास पदों की संख्या बढ़ाने या उन पदों से कहीं अधिक उम्मीदवारों की सिफारिश करने का

कोई अधिकार क्षेत्र या शक्ति नहीं है, जिनके लिए उसके सामने मांग रखी गई है।आम तौर पर, एक अनुरोध भेजते समय, सरकार के विभाग अपने पास उपलब्ध पदों की वास्तविक संख्या के साथ-साथ उन रिक्तियों को भी ध्यान में रखेंगे जो अनुमानित हो सकती हैं।इस उद्देश्य के लिए, सरकार द्वारा 20 जनवरी, 1988 के अपने पत्र के माध्यम से निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें निर्दिष्ट किया गया है कि बोर्ड किस हद तक प्रतीक्षा सूची तैयार कर सकता है।यह भी प्रावधान किया गया है कि मुख्य सूची के साथ-साथ प्रतीक्षा सूची केवल एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य रहेगी।इसके बाद।द.

सूची को समाप्त कर दिया जाएगा और "यदि बोर्ड द्वारा कोई और मांग प्राप्त होती है, तो वह मामले को नए सिरे से संसाधित करेगा और आगे की सिफारिशें करेगा।" वर्तमान मामले में, बोर्ड ने 5,373 उम्मीदवारों की योग्यता सूची तैयार करने के लिए सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पूरी तरह से अवहेलना की।

(पैरा 13)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि चयन एजेंसी विज्ञापन की तारीख पर उपलब्ध पदों से अधिक उम्मीदवारों का चयन नहीं कर सकती है।बेशक, उम्मीदवारों का एक छोटा प्रतिशत या सरकार द्वारा वांछित उम्मीदवारों को प्रतीक्षा सूची में रखा जा सकता है ताकि कुछ उम्मीदवारों के पदों पर शामिल नहीं होने या उनके पूर्वजों के सत्यापन या शारीरिक परीक्षा पर अनुपयुक्त पाए जाने की स्थिति में, योग्यता के आदेश में अगला उपलब्ध कराया जा सके।हालांकि, बोर्ड द्वारा विज्ञापित पदों की संख्या के लिए थोक प्रस्थान की अनुमति नहीं है।

(पैरा 14)

आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि सामान्य पाठ्यआदेश में, यदि पात्रता आदि की सभी शर्तों को पूरा किया जाता है, तो चयनित उम्मीदवारों को उनकी योग्यता के आदेश में नियुक्त किया जाना चाहिए।योग्यता सूची से प्रस्थान की अनुमति शायद ही कभी केवल तभी

दी जा सकती है जब इसे अच्छे आधार पर उचित ठहराया जाए।हालांकि, अगर राज्य को लगता है कि उसे चयनित उम्मीदवारों को नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है या चयन एजेंसी द्वारा अपनाए गए मानदंड उचित और निष्पक्ष नहीं हैं, तो वह नियुक्तियां करने से इनकार कर सकता है।ऐसी स्थिति में, चयनित उम्मीदवार यह दावा करने के हकदार नहीं होंगे कि उन्हें नियुक्त होने का अक्षम्य अधिकार है।

(पैरा 15)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि चयनित उम्मीदवारों को नियुक्त होने का कोई अक्षम्य अधिकार नहीं मिलता है।

(पैरा 17)

आगे यह अभिनिर्धारित किया कि–

(i) चयन बोर्ड उन पदों की संख्या से अधिक चयन नहीं कर सकता है जिनके लिए उसके समक्ष अनुरोध किया गया है।बोर्ड द्वारा तैयार प्रतीक्षा सूची सरकार द्वारा निर्धारित संख्या तक ही सीमित होनी चाहिए।

(ii) चयनित उम्मीदवारों को उन पदों पर नियुक्त होने का कोई अक्षम्य अधिकार नहीं है जिनके लिए उनका चयन किया गया है।

(iii)सुदेश कुमारी के मामले में पीठ द्वारा विशेष रूप से इस

प्रभाव से दिए गए निर्देश कि 15 अक्टूबर, 1989 को तैयार की गई चयन सूची समाप्त नहीं होगी, कानून की पुष्टि में नहीं हैं।

(iv) प्रत्यर्थी-हरियाणा राज्य व्यक्तियों के मामलों की जांच करेगा।जिनकी नियुक्ति योग्यता सूची में शामिल करने के लिए अपेक्षित प्रतिशत अंक प्राप्त नहीं करने के बावजूद की गई थी और वे उन पदों की संख्या के भीतर नहीं थे जिनके लिए बोर्ड को अनुरोध भेजा गया था।यह कानून के अनुसार आदेश पारित करेगा।

(v) बोर्ड द्वारा 15 अक्टूबर, 1989 को तैयार की गई सूची एक वर्ष की अवधि के लिए वैध थी।यदि कोई उम्मीदवार जिसका नाम

ऐसा प्रतीत होता है कि क्र. सं. 662 तक अभी तक नियुक्त नहीं किया गया है, राज्य उसके दावे पर विचार करेगा और उसे नियुक्त करेगा।15 अक्टूबर, 1990 से उत्पन्न होने वाली ए. यू. रिक्तियों का पुनः विज्ञापन किया जाएगा और इन रिक्तियों के लिए भर्ती चयनित उम्मीदवारों में से की जाएगी।

(पैरा 33)

एस. के. सूद, याचिकाकर्ता संख्या 1 के लिए अधिवक्ता

सूर्यकांत, अधिवक्ता याचिकाकर्ता संख्या 2.

डी. आर. बंसल, याचिकाकर्ता संख्या 3 के अधिवक्ता

एच. एल. सिब्बल, ए. जी. हरियाणा आर. सी. सेतिया के साथ।ए. जी. हरियाणा, प्रतिवादी के लिए।

राम कुमार मलिक, नंबर 3 से 12 प्रतिवादीओं के लिए अधिवक्ता

बी. आर. गुप्ता, अतिरिक्त प्रतिवादी के लिए अधिवक्ता

(माननीय न्यायाधीश श्री ए. एल. बहरी, माननीय न्यायाधीश श्री अशोक भान और माननीय न्यायाधीश श्री जवाहर लाल गुप्ता की पूर्ण पीठ का निर्णय, दिनांक 13 जुलाई, 1994)

निर्णय

जवाहर लाल गुप्ता, न्यायाधीश

(1) याचिकाकर्ताओं ने इस अदालत से अनुरोध किया कि हरियाणा राज्य में विभिन्न विभागों में क्लर्कों के पदों पर नियुक्ति के लिए "15 अक्टूबर, 1989 को घोषित चयन सूची के परिणामस्वरूप अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा उल्लिखित क्लर्कों की प्रतीक्षा सूची" को रद्द कर दिया जाए।प्रस्ताव पीठ द्वारा जारी नोटिस के जवाब में, प्रतिवादी, अर्थात् हरियाणा राज्य और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (जिसे इसके बाद 'बोर्ड' के रूप में संदर्भित किया गया है) उपस्थित हुए और बताया कि वे (सुदेश कुमारी बनाम हरियाणा राज्य और हरियाणा राज्य) मामले में इस न्यायालय की एक खण्ड पीठ के फैसले के अनुरूप काम कर रहे थे।(1), जिसके तहत यह निर्देश दिया गया था कि "जब तक ऐसे व्यक्ति जो योग्यता में उच्च हैं, उनकी नियुक्ति नहीं की जाती है, तब तक 15 अक्टूबर, 1989 को तैयार की गई चयन सूची समाप्त नहीं होगी, चाहे कोई भी हो।इसके विपरीत हरियाणा राज्य द्वारा जारी किए गए निर्देश, यदि कोई हों।" (जोर दिया गया)।प्रस्ताव पीठ ने पार्टियों के वकील सुना।उनके अध्यक्षों ने बोर्ड के वर्तमान सचिव श्री एम. एस. मदान का बयान भी दर्ज किया।खण्ड पीठ द्वारा व्यक्त किए गए विचार के बारे में उन्हें कुछ आपत्तियां थीं।नतीजतन, पीठ ने निर्देश दिया कि सुदेश

कुमारी के मामले (सुप्रा) में दिए गए फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए मामले को एक बड़ी पीठ के समक्ष रखा जाए।" इस तरह यह मामला हमारे सामने रखा गया है।कुछ तथ्यों पर ध्यान दिया जा सकता है।

(1) 1991(1) आर. एस. जे. 18

(2) 22 जुलाई, 1987 को बोर्ड ने हरियाणा सरकार के विभिन्न कार्यालयों के लिए क्लर्कों के कुछ पदों का विज्ञापन दिया।" वास्तव में, बोर्ड को कुल 862 पदों के लिए विभिन्न विभागों से अनुरोध प्राप्त हुए थे।विज्ञापन के अनुसरण में, बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने अपने आवेदन जमा किए।लिखित परीक्षा आयोजित करने के बाद, बोर्ड ने 15 अक्टूबर, 1989 को कुल 5,373 उम्मीदवारों का चयन किया।इसने विभिन्न विभागों में 1,692 उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश की।कुछ व्यक्ति, जो योग्यता में कम थे, वास्तव में नियुक्त किए गए थे, जबकि अन्य, हालांकि योग्यता में उच्च थे, उन्हें ऐसे प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था जिनके लिए उनके नामों की सिफारिश की गई थी, वे उन्हें समायोजित करने में असमर्थ थे।नियुक्ति पाने में विफल रहने वाले कुछ उम्मीदवारों ने 1990 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 8187 (सुदेश कुमारी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य) द्वारा से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।इस न्यायालय की एक पीठ पीठ ने 10 अक्टूबर, 1990 के फैसले के माध्यम से इस रिट याचिका को स्वीकार कर लिया।इसने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्देश दिएः–

> इस स्तर पर बोर्ड को याचिकाकर्ताओं और अन्य समान रूप से स्थित व्यक्तियों के नामों की सिफारिश करने का निर्देश देने

से, जो योग्यता में उच्च हैं और जिनके नाम विभागों से वापस प्राप्त किए गए हैं क्योंकि उन्हें नियुक्त नहीं किया जा सका है, इस समय उन व्यक्तियों को परेशान करेगा जिन्हें पहले ही अन्य विभागों में नियुक्त किया जा चुका है, जो योग्यता में कम हैं।हम ऐसे व्यक्तियों को परेशान नहीं करना चाहेंगे जिन्हें अन्य विभागों में नियुक्त किया गया है जो योग्यता में कम हैं।इन परिस्थितियों में, हम निर्देश देते हैं कि अब से जब भी क्लर्क के पदों को भरने के लिए किसी भी विभाग से कोई मांग प्राप्त होती है, तो 15 अक्टूबर, 1989 को तैयार की गई योग्यता के आधार पर आज तक क्लर्क के रूप में नियुक्त किए गए पिछले व्यक्ति की तुलना में योग्यता में अधिक योग्यता वाले सभी व्यक्तियों को पहले नियुक्त किया जाएगा।जब तक ऐसे व्यक्ति जो योग्यता में उच्च हैं, नियुक्त नहीं किए जाते हैं, तब तक 15 अक्टूबर, 1989 को तैयार की गई चयन सूची समाप्त नहीं होगी, भले ही हरियाणा राज्य द्वारा इसके विपरीत कोई निर्देश जारी किए गए हों।"

(3) ऐसा प्रतीत होता है कि सुदेश कुमारी के मामले (उपरोक्त) में निर्णय का पालन कुछ अन्य मामलों में भी किया गया था।उपरोक्त

उल्लिखित निर्देशों के परिणामस्वरूप, बोर्ड द्वारा जुलाई, 1987 के बाद क्लर्कों के किसी भी पद का विज्ञापन नहीं किया गया है।बोर्ड द्वारा खारिज किए गए दो याचिकाकर्ताओं (याचिकाकर्ता संख्या 3 पहले ही वापस ले चुके हैं) ने इस अनुरोध के साथ इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है कि बोर्ड द्वारा 15 अक्टूबर, 1989 को तैयार की गई सूची को रद्द कर दिया जाए।उनका मानना है कि हरियाणा राज्य में उपलब्ध नौकरी के अवसर "नाममात्र" * हैं और यह

संभावना है कि "जब तक प्रतीक्षा सूची समाप्त हो जाएगी, तब तक वे अधिक उम्र के हो जाएंगे और पदों के लिए अयोग्य हो जाएंगे।"याचिकाकर्ताओं के अनुसार, बोर्ड द्वारा तैयार की गई चयन सूची हमेशा के लिए वैध नहीं रह सकती है और इसे 'स्क्रैप' किया जाना चाहिए।अन्यथा, 4,000 उम्मीदवारों की प्रतीक्षा सूची एक दशक तक चलती, जिसका प्रभाव विभिन्न पात्र व्यक्तियों को क्लर्क के पदों के लिए प्रतिस्पर्धा करने के अवसर से वंचित करने पर पड़ता, उनका यह भी मानना है कि बोर्ड द्वारा तैयार की गई सूची उचित नहीं थी।जिन व्यक्तियों ने विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पदों के लिए आवेदन नहीं किया था, उन्हें बाहरी कारणों से नौकरियों के लिए चुना गया था।यहां तक कि जो लिखित परीक्षा में उपस्थित नहीं हुए थे या असफल रहे थे, उनका चयन "तब सत्ता में" राजनेताओं की सिफारिशों पर किया गया था और "महम और सिरसा जिलों से संबंधित उम्मीदवारों" को अनुचित रूप से पसंद किया गया था।यह भी बताया गया है कि कराधान निरीक्षकों के पदों के लिए बोर्ड द्वारा किया गया चयन भी मनमाना था और सी. बी. आई. द्वारा जांच का आदेश उनके सर्वोच्च न्यायालय के अध्यक्षों द्वारा दिया गया था।उनका कहना है कि जिन उम्मीदवारों के नाम चयन सूची में नहीं हैं, उन्हें बाहरी विचारों के लिए आबकारी और कराधान विभाग

में आवेदन के लिए अनुशंसित किया गया था।ऐसे व्यक्ति जो योग्यता में कम थे, उन्हें 'ए' श्रेणी के कार्यालयों में नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया गया था, जबकि जो योग्यता में अधिक थे, वे अभी भी नियुक्तियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं।याचिकाकर्ताओं के अनुसार, विज्ञापन के समय वास्तव में 207 पद उपलब्ध थे।इस प्रकार, प्रतीक्षा सूची सहित चयनित उम्मीदवारों की संख्या 300 से अधिक नहीं हो सकती थी।हालांकि, बोर्ड ने मनमाने ढंग से 5,373 उम्मीदवारों की एक योग्यता सूची तैयार की थी जो बिल्कुल भी उचित या वैध नहीं थी।तदनुसार, याचिकाकर्ताओं का कहना है कि बोर्ड के लिए लगभग 4,000 उम्मीदवारों की प्रतीक्षा सूची बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं है, विशेष रूप से जब लगभग 1,300 व्यक्तियों को पहले ही नियुक्त किया जा चुका है।उनका कहना है कि यह कार्रवाई भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है।

(4) आई. ओ. एन. ए. बी. आई. में 3 उत्तरदाताओं के बारे में बोर्ड के सचिव श्री एम. एस. मदन द्वारा लिखित बयान दायर किया गया है।यह अनुमान लगाया गया है कि "क्लर्कों के 662 पदों की मांग की गई थी, विज्ञापन के समय बोर्ड ने 5,373 उम्मीदवारों का चयन किया था।चयन सामग्री अनियमितता के साथ विज्ञापित पदों से परे किया गया

था बोर्ड द्वारा किया गया चयन स्पष्ट रूप से अवैध है और लॉव की नजर में टिकाऊ नहीं है।जे. टी. को आगे कहा गया है कि सुदेश कुमारी के मामले (ऊपर) में इस न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय प्रतिवादी के लिए बाध्यकारी है और इसके परिणामस्वरूप नियुक्तियां दिनांकित चयन सूची से की जानी हैं।

15 अक्टूबर, 1989।यह स्वीकार किया गया है कि "अनुमानित 4,000 रिक्तियां लगभग 10 वर्षों में उपलब्ध होने की संभावना है"।उस समय तक याचिकाकर्ता अधिक उम्र के हो जाएंगे।यह भी कहा गया है कि 'उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश विभिन्न विभागों को तत्कालीन बोर्ड द्वारा तैयार की गई योग्यता के अनुसार सख्ती से नहीं की गई थी और कई व्यक्ति जो योग्यता सूची (में) से बहुत नीचे थे, यानी क्रम संख्या 4 पर; यू45 को नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया गया था, जबकि उम्मीदवारों के नाम, जो पहले सौ में थे, प्रायोजित नहीं थे, जिसने बोर्ड के लिए शर्मनाक स्थिति पैदा कर दी है।इस चुनें और चुनें नीति का सहारा बोर्ड ने अपने सचिव द्वारा से राजनीतिक विचारों के लिए लिया था।इस पद से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका यह है कि उनके नाम वापस ले लिए जाएं और उनके स्थान पर योग्यता सूची में उच्च श्रेणी के उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश की जाए।प्रतीक्षा सूची जो सरकारी निर्देशों के तहत संलग्नक पी. 2 के तहत समाप्त हो गई है, उसे समाप्त करने की अनुमति है और रिक्तियों को सरकारी कार्यालयों में नियुक्तियों के लिए नए उम्मीदवारों को अवसर देते हुए पुनः विज्ञापित किया जाता है।यह भी बताया गया है कि "बहस के समय मामले के तथ्यात्मक मामले को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया

गया था।" प्रतिवादी ने स्वीकार किया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उल्लिखित कुछ उम्मीदवार, जो परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहे थे, उन्हें बोर्ड द्वारा विभिन्न विभागों में नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया गया था।कई अन्य अनियमितताओं का भी पता चला है।यह भी सुझाव दिया गया है कि बोर्ड "राजनीतिक विचारों" से प्रभावित था।इस स्थिति में, यह प्रार्थना की गई है कि लिखित बयान में की गई कानूनी और तथ्यात्मक प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए रिट याचिका का निपटारा किया जाए।

(5) 1994 का सी. एम. आवेदन संख्या 590 15 व्यक्तियों (दिलबाग सिंह और अन्य) द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 के तहत उन्हें इस आधार पर प्रतिवादी के रूप में शामिल करने के लिए दायर किया गया था कि उनके द्वारा दायर याचिकाकर्ताओं को पहले ही स्वीकार कर लिया गया था।1994 का सी. एम. आवेदन संख्या 4644 भी इन व्यक्तियों द्वारा एक संक्षिप्त लिखित बयान दर्ज करने की अनुमति के लिए दायर किया गया था।इन आवेदनों की अनुमति दी गई थी।

(6) अतिरिक्त प्रतिवादी की ओर से दायर लिखित बयान में,

यह अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं जैसे व्यक्ति, जिनके दावे पर विचार किया गया था और जिन्हें योग्यता सूची में शामिल नहीं किया गया था, उन्हें विज्ञापन के समय उपलब्ध पदों की संख्या से अधिक व्यक्तियों की नियुक्ति में प्रतिवादी की कार्रवाई को चुनौती देने का कोई अधिस्थिति नहीं है।यह भी कहा गया है कि "वे सभी व्यक्ति जिनके पक्ष में खण्ड पीठ का फैसला है, वे आवश्यक पक्ष हैं" और उनकी अभाव में उनके पूर्वाग्रह के लिए कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है।प्रतिवादी ने आगे

औसत यह कि याचिकाकर्ताओं द्वारा स्वयं योग्यता सूची दिखाना 15 अक्टूबर, 1990 तक वैध था-उस तारीख को 6,000 से अधिक क्लर्क तदर्थ आधार या दैनिक वेतन तदर्थ काम कर रहे थे यदि इन सभी पदों को चयनित उम्मीदवारों में से भरा जाता, तो योग्यता सूची में रखे गए 5,373 व्यक्तियों में से प्रत्येक को नियुक्त किया जाता।हालाँकि, हरियाणा सरकार ने तदर्थ नियुक्तियों की सेवाओं को नियमित करने तदर्थ एक नीतिगत निर्णय लिया।परिणामस्वरूप, 1 जनवरी, 1991 से 5,000 से अधिक क्लर्कों की सेवाओं को नियमित किया गया।उन लिपिकों के संबंध में भी, जिन्होंने 31 दिसंबर, 1990 तक दो साल तदर्थ सेवा तदर्थ अपेक्षित अवधि पूरी नहीं तदर्थ थी, एक नीतिगत निर्णय लिया गया था कि उन सभी तदर्थ कर्मचारियों तदर्थ सेवाओं को नियमित किया जाए जिन्होंने 31 मार्च, 1993 तक दो साल से अधिक तदर्थ सेवा पूरी तदर्थ थी।प्रतिवादी बताते हैं कि दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले क्लर्क उनके साथ काम पूरा कर चुके थे, लेकिन उनका चयन नहीं किया गया था।इसके बावजूद, उन्हें सेवा में बने रहने की अनुमति दी गई और बाद में उनकी सेवाओं को नियमित कर दिया गया।यदि उनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया होता, तो सभी चयनित उम्मीदवारों को नियुक्त किया जाता।प्यारा सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट के अपने लॉर्डशिन्स के

फैसले के साथ-साथ 1991 के S.L.Ps (C) संख्या 18354 और 20095 में भी, प्रतिवादी का मानना है कि चयनित उम्मीदवारों को उनकी नियुक्ति का अधिकार है।इस उद्देश्य के लिए रिलायंस को हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव द्वारा जारी निर्देशों पर भी रखा गया है-17 मई, 1976 के लैटर के माध्यम से।प्रतिवादी का यह भी कहना है कि रिट याचिका वास्तव में अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष के कहने पर दायर की गई है।उनके अनुसार, चयन को चुनौती दी गई थी और रिट याचिका को बोलने के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।यह भी कहा गया है कि बोर्ड जानबूझकर सुदेश कुम 1 एरी के मामले (सुप्रा) में खण्ड पीठ के फैसले को लागू करने से बच रहा है।प्रतिवादी के अनुसार, सुदेश कुमारी के मामले (सुप्रा!, इसने चयनित उम्मीदवारों के नाम आगे नहीं भेजे।उनका यह भी मानना है कि खण्ड पीठ का निर्णय न केवल कानूनी है, बल्कि न्यायसंगत और निष्पक्ष भी है।तदनुसार, प्रतिवादी प्रार्थना करते हैं कि रिट याचिका को लागत के साथ खारिज कर दिया जाए।

(7)हम सभी दलों को सलाह देते हुए सुन चुके हैं।ई विचार के लिए उत्पन्न होने वाले प्रश्न इस प्रकार हैंः—

(i) क्या बोर्ड 5,373 उम्मीदवारों का चयन कर सकता था जब उसके पास केवल 662 पदों के लिए मांग थी?

(ii) क्या चयनित उम्मीदवारों को नियुक्त होने का अक्षम्य अधिकार है?

(iii) क्या 1 सुदेश कुमारी के मामले (सुप्रा) में खण्ड पीठ द्वारा विशेष रूप से इस आशय के निर्देश दिए गए हैं कि जब तक "योग्यता में उच्च व्यक्ति नियुक्त नहीं किए जाते हैं, तब तक 15 अक्टूबर, 1989 को तैयार की गई चयन सूची 'ए' के प्रावधानों के अनुरूप 'समाप्त नहीं होगी।

14 & 16 भारत का संविधान?

पुनः प्रश्न सं. (i)

(8) अनुच्छेद 16 भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में निर्धारित समानता के सामान्य नियम का एक उदाहरण है।यह राज्य के तहत किसी भी पद पर रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की गारंटी देता है।जबकि, राज्य को योग्यता और पात्रता की शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार था, जिनका पदों की आवश्यकताओं के साथ उचित संबंध है, यह "पूर्ण तरीके" से नियुक्तियां करने और योग्य उम्मीदवारों को आवेदन करने और योग्यता के आधार पर विचार किए जाने का मौका दिए बिना लोगों की

भर्ती करने का हकदार नहीं है।यह अनुच्छेद 16 में निहित गारंटी को प्रभावी बनाने के लिए है कि राज्य एक विज्ञापन जारी आदेशता है और पदों की उपलब्धता के बारे में एक सार्वजनिक सूचना देता है।यह योग्य उम्मीदवारों को अपने आवेदन जमा करने के लिए आमंत्रित करता है।प्रभावी होने के लिए और अनुच्छेद 16 में निहित गारंटी के अनुरूप होने के लिए, विज्ञापन सटीक होना चाहिए।आम तौर पर पदों की संख्या का विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।योग्यता की योग्यता और शर्तों को स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया जाना चाहिए।अस्पष्टता भ्रम और जटिलताओं का कारण बन सकती है।इनसे बचना चाहिए।

(9) वर्तमान मामले में, यह रिकॉर्ड पर स्थापित किया गया है कि बोर्ड को राज्य के विभिन्न विभागों से कुल 662 पदों (जिसमें एक वर्ष में प्रत्याशित रिक्तियां भी शामिल हो सकती हैं) के लिए अनुरोध प्राप्त हुए थे।इसने 22 जुलाई, 1987 को पदों का विज्ञापन किया।आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 22 अगस्त, 1987 थी।

उम्मीदवारों को निर्धारित तिथि तक योग्यता और आयु के संबंध में पात्रता की शर्तों को पूरा करना था।नतीजतन, ऐसे सभी व्यक्ति, जिन्होंने निर्धारित आयु प्राप्त नहीं की थी या आवेदन जमा करने की अंतिम

तिथि से पहले निर्धारित परीक्षा में अर्हता प्राप्त नहीं की थी, आवेदन करने के पात्र नहीं थे।इस प्रकार, केवल वे लोग जो पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं, वे अपने आवेदन जमा करने के हकदार थे।गुणों पर विचार करें।जिन लोगों ने निर्धारित तिथि के बाद आवश्यक योग्यता प्राप्त की थी या तब तक निर्धारित आयु प्राप्त नहीं की थी, उन्हें दूसरे विज्ञापन जारी होने तक इंतजार करना पड़ा था।

(10) इस तथ्य के बावजूद कि बोर्ड को केवल 662 पदों के लिए अनुरोध प्राप्त हुए थे, इसने 5,373 उम्मीदवारों का चयन किया।यदि इन सभी चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति की जानी थी, तो वे सभी व्यक्ति, जो पदों की उपलब्धता की तारीख तक या आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख के बाद पात्र हो गए होंगे, 4,500 से अधिक पदों के संबंध में आवेदन करने के अवसर से वंचित हो जाएंगे।ऐसे लोगों को ऐसा करने का कोई मौका नहीं मिलेगा।राज्य के अधीन पदों के विरुद्ध माना जाता है।इन पदों के संबंध में अनुच्छेद 16 में निहित गारंटी का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया जाएगा।

(11) अतिरिक्त प्रतिवादी विद्वान अधिवक्ता श्री आर. के. मलिक ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा

है।उन्होंने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं ने वास्तव में पदों के लिए आवेदन किया था और इसके बावजूद।तथ्य यह है कि बोर्ड ने 5,373 उम्मीदवारों का चयन किया था, उनके नाम योग्यता सूची में शामिल नहीं थे।परिणामस्वरूप उन्होंने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं के पास चयन को चुनौती देने का कोई अधिस्थिति नहीं है, हम इस तर्क को प्रतिग्रहण करना करने में असमर्थ हैं।सबसे पहले, राज्य के तहत किसी पद पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने का उम्मीदवार का अधिकार एक अवसर पर विफलता से समाप्त नहीं होता है।जो अपने पहले प्रयास में विफल रहे हैं, वे दूसरे अवसर पर बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं।यदि मौका उनके कारण है, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है।दूसरा * राज्य इस तरह से कार्य करने के लिए बाध्य है कि अनुच्छेद 16 के तहत गारंटी का उल्लंघन न हो,यदि राज्य कुछ * पदों का विज्ञापन करने के लिए आगे बढ़ता है और यह स्थापित होता है कि विज्ञापन की तारीख पर केवल 662 पद उपलब्ध थे, उपलब्ध थे या उचित समय के भीतर अनुमानित किए जा सकते थे, तो यह उन रिक्तियों को भरने के लिए उम्मीदवारों का चयन नहीं कर सकता है जो वास्तव में विज्ञापित किए गए हैं।इस नियम को सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में दो घोषणाओं में दोहराया है।होशियार सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (2) मामले

में यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है -

" इस तरह के चयन और सिफारिश के आधार पर अतिरिक्त पदों पर नियुक्ति उन उम्मीदवारों को वंचित कर देगी जो विज्ञापन में उल्लिखित आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं थे और जो उसके बाद नियुक्ति के लिए पात्र हो गए थे, अतिरिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के अवसर से क्योंकि यदि उक्त अतिरिक्त पदों का विज्ञापन बाद में किया जाता है तो वे जो नियुक्ति के लिए पात्र हो जाते हैं, वे उसी के लिए आवेदन करने के हकदार होंगे।इसलिए, उच्च न्यायालय का यह अभिनिर्णय सही था कि बोर्ड द्वारा 19 व्यक्तियों का चयन किया जाए।

भले ही मांग केवल 8 पदों के लिए थी, लेकिन कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं थी।"

(12) इसी तरह, बिहार राज्य बनाम मदन मोहन सिंह (3) मामले में यह देखा गया है कि यदि किसी चयन सूची को अन्य रिक्तियों को भरने के उद्देश्य से भी बनाए रखना है तो यह स्वाभाविक रूप से अन्य उम्मीदवारों के अधिकारों से वंचित करने के बराबर होगा जो उक्त विज्ञापन और चयन प्रक्रिया के बाद पात्र हो गए हैं।" (अनुच्छेद 7)।

(13) इसके अलावा, हमारा यह भी विचार है कि बोर्ड का गठन राज्य सरकार द्वारा को. आई. संस्थान के अनुच्छेद 309 के तहत किया गया है।यह उन पदों के लिए चयन और नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों की सिफारिश करने का कार्य करता है जिनके लिए इसे एक अनुरोध भेजा जाता है।इसका कार्य उम्मीदवारों का चयन और सिफारिश करना है ताकि सक्षम प्राधिकारी को उन पदों के खिलाफ नियुक्तियां करने में सक्षम बनाया जा सके जिनके लिए एक मांग भेजी गई थी।इसके पास पदों की संख्या बढ़ाने या उन पदों से कहीं अधिक उम्मीदवारों की सिफारिश करने का कोई अधिकार क्षेत्र या शक्ति नहीं है जिनके लिए उसके सामने मांग की गई है।आम तौर पर, एक अनुरोध भेजते समय, सरकार के विभाग अपने पास उपलब्ध पदों की वास्तविक संख्या के साथ-साथ उन रिक्तियों

को भी ध्यान में रखेंगे जो अनुमानित हो सकती हैं।इस उद्देश्य के लिए, सरकार द्वारा 20 जनवरी, 1988 के अपने पत्र के माध्यम से निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें निर्दिष्ट किया गया है कि बोर्ड किस हद तक प्रतीक्षा सूची तैयार कर सकता है।यह भी प्रावधान किया गया है कि मुख्य सूची के साथ-साथ प्रतीक्षा सूची केवल एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य रहेगी।इसके बाद, सूची को समाप्त कर दिया जाएगा और "यदि बोर्ड द्वारा कोई और मांग प्राप्त होती है, तो वह मामले को नए सिरे से संसाधित करेगा और आगे की सिफारिशें करेगा।" वर्तमान मामले में, बोर्ड ने 5,373 उम्मीदवारों की योग्यता सूची तैयार करने के लिए सरकार द्वारा जारी निर्देशों की अवहेलना करते हुए कुल मिलाकर कार्रवाई की।

(14) तदनुसार, हम पहले प्रश्न का उत्तर नकारात्मक में देते हैं और मानते हैं कि चयन एजेंसी विज्ञापन की तारीख पर उपलब्ध पदों से अधिक उम्मीदवारों का चयन नहीं कर सकती है।बेशक, उम्मीदवारों का एक छोटा प्रतिशत या सरकार द्वारा वांछित उम्मीदवारों को प्रतीक्षा सूची में रखा जा सकता है ताकि कुछ उम्मीदवारों के पदों पर शामिल नहीं होने या उनके पूर्वजों के सत्यापन या शारीरिक परीक्षा पर अनुपयुक्त पाए जाने की स्थिति में, योग्यता के आदेश में अगला उपलब्ध कराया जा सके।हालांकि, बोर्ड द्वारा विज्ञापित पदों की संख्या के लिए एक पूर्ण-

बिक्री प्रस्थान बिल्कुल भी अनुमत नहीं है।

(3) 1993(5) एसएलआर 601.

पुनः प्रश्न lVo. (ii)

(15) आई. एन. आई. टी. आर्नकंट्री में, गरीबी-एकता । ने अपनी भूमि को बर्बाद कर दिया।एम. ए. जे. सी. **बहुसंख्यक** लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं।बड़ी संख्या में शिक्षित युवा बेरोजगार हैं।पदों का स्तर जो भी हो, एक विज्ञापन बड़ी संख्या में आवेदनों को आकर्षित करता है।आवेदक प्रतिस्पर्धा करते हैं।जिन लोगों का चयन किया जाता है, वे इस उम्मीद को पूरा करने के हकदार हैं कि उन्हें चीजों की प्रकृति में, ऐसे व्यक्तियों के लिए नियुक्त किया जाएगा जिनके लिए वे उपयुक्त पाए जाते हैं।नियुक्ति की जानी चाहिए।विज्ञापित पदों को चयन एजेंसी द्वारा निर्धारित योग्यता के आदेश में भरा जाना चाहिए।यह, निश्चित रूप से, नियोक्ता के अधिकार के अधीन है कि वह उम्मीदवारों के पूर्ववृत्त और शारीरिक परीक्षा आदि के सत्यापन पर उनकी उपयुक्तता निर्धारित करे। सामान्य पाठ्यआदेश में, यदि पात्रता आदि की सभी शर्तों को पूरा किया जाता है, तो चयनित उम्मीदवारों को उनकी योग्यता के अनुसार नियुक्त किया जाना चाहिए।योग्यता सूची से प्रस्थान की अनुमति शायद ही कभी

दी जा सकती है, अगर यह अच्छे आधार पर उचित है।हालांकि, अगर राज्य को लगता है कि उसे चयनित उम्मीदवारों को नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है या चयन एजेंसी द्वारा अपनाए गए मानदंड उचित और निष्पक्ष नहीं हैं, तो वह नियुक्तियां करने से इनकार कर सकता है।ऐसी स्थिति में, चयनित उम्मीदवार यह दावा करने के हकदार नहीं होंगे कि उन्हें नियुक्त होने का अक्षम्य अधिकार है।

(15ए) वर्तमान मामले में, बोर्ड द्वारा 662 पदों के लिए अनुरोध प्राप्त किए गए थे।बोर्ड अप्रत्याशित परिस्थितियों को पूरा करने के लिए 662 या कुछ और उम्मीदवारों का चयन कर सकता था।हालाँकि, इसने वास्तव में 5,373 उम्मीदवारों का चयन किया। 4711 उन पदों से अधिक जिनके लिए उसे अनुरोध प्रस्तुत किए गए थे।यह सरासर अनुचित था।ऐसी स्थिति में, विज्ञापन के समय उपलब्ध पदों से अधिक चुने गए उम्मीदवार यह दावा नहीं कर सकते हैं कि उन्हें नियुक्त होने का अक्षम्य अधिकार था।इस संबंध में नियम शुरू में हरियाणा राज्य बनाम सुभाष चंदर मारवाह (4) में सर्वोच्च न्यायालय के उनके लॉर्डशिप द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जब उनके लॉर्डशिप निम्नानुसार थेः–

> " कि उम्मीदवार के नाम की इस सूची में जितनी अधिक प्रविष्टि होगी, उसे नियुक्त होने का अधिकार नहीं मिलेगा।यह विज्ञापन

कि 15 रिक्तियां भरी जानी हैं, उन्हें नियुक्त होने का अधिकार भी नहीं देता है।ऐसा हो सकता है कि सरकार वित्तीय या अन्य प्रशासनिक कारणों से किसी भी रिक्त पद को न भरे।ऐसे मामले में उम्मीदवारों को, यहां तक कि सूची में पहले वाले को भी, नियुक्त होने का अधिकार नहीं होगा।सूची केवल मदद करने के लिए है

नियुक्तियाँ करने में राज्य सरकार यह दर्शाती है कि किन उम्मीदवारों के पास नियमों के तहत न्यूनतम योग्यता है।नियुक्ति के लिए चयन का चरण इसके बाद आता है "

इसके बाद उपरोक्त नियम को नीलिमा शांगला बनाम हरियाणा राज्य (5) में निम्नलिखित शब्दों में दोहराया गयाः–

यह कहना सही नहीं है कि यदि नियुक्ति के लिए कई रिक्तियों को अधिसूचित किया जाता है और पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार उपयुक्त पाए जाते हैं, तो सफल उम्मीदवार नियुक्त होने का एक अक्षम्य अधिकार प्राप्त करते हैं जिसे वैध रूप से अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।आम तौर पर अधिसूचना केवल योग्य उम्मीदवारों को भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए आमंत्रित करने के बराबर होती है और उनके चयन पर वे पद का कोई अधिकार प्राप्त नहीं करते हैं।जब तक संबंधित भर्ती नियम इस तरह से इंगित नहीं करते हैं, तब तक राज्य सभी या किसी भी रिक्तियों को भरने के लिए किसी भी कानूनी कर्तव्य के अधीन नहीं है।हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि राज्य के पास मनमाने तरीके से काम करने का लाइसेंस है।रिक्तियों को नहीं भरने का निर्णय उचित कारणों से ईमानदारी से लिया

जाना चाहिए।और यदि रिक्तियां या उनमें से कोई भी भरा जाता है, तो राज्य उम्मीदवारों की तुलनात्मक योग्यता का सम्मान करने के लिए बाध्य है, जैसा कि भर्ती परीक्षा में परिलक्षित होता है, और किसी भी भेदभाव की अनुमति नहीं दी जा सकती है, इस सही स्थिति का इस न्यायालय द्वारा लगातार पालन किया गया है, और हम हरियाणा राज्य बनाम सुभाष-चंदर मारवाह, नीलिमा शांगला बनाम हरियाणा राज्य, या जतेंद्र कुमार बनाम पंजाब राज्य के निर्णयों में कोई विसंगत ध्यान दें नहीं पाते हैं।"

(16) इस विचार को शरिकर्शन दास बनाम भारत संघ (6) और सबिता प्रसाद और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य (7) में उच्चतम न्यायालय के उनके अधिपत्य की दो हालिया घोषणाओं में दोहराया गया है।

(17) तदनुसार, हम मानते हैं कि चयनित उम्मीदवारों को नियुक्त होने का कोई अक्षम्य अधिकार नहीं मिलता है।

पुनः प्रश्न सं। (हाय)

(18) यह हमें तीसरे प्रश्न पर लाता है, जो इस न्यायालय की एक खण्ड पीठ द्वारा लिए गए दृष्टिकोण की शुद्धता से संबंधित है।

(5) 1986(4) एससीसी168।

(6) 1991 (2) एस. एल. आर. 779

(7)1992 (3) स्केल 361।

सुदेश कुमारी का मामला।याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई सटीक शिकायत यह थी कि नियुक्तियां देते समय, योग्यता में उच्च व्यक्तियों की उपेक्षा की गई थी, जबकि योग्यता में कम उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई थी।प्रतिवादी की ओर से तथ्यात्मक स्थिति का विरोध नहीं किया गया था।यह स्वीकार किया गया कि "योग्यता में कम छह उम्मीदवारों को अन्य विभागों द्वारा नियुक्त किया गया है, जबकि याचिकाकर्ताओं, जो योग्यता में उच्च थे, को विभाग द्वारा नियुक्त नहीं किया गया है, जहां याचिकाकर्ताओं के नामों की सिफारिश की गई थी और नाम बोर्ड को वापस भेज दिए गए हैं।" इस तथ्यात्मक स्थिति की पृष्ठभूमि में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि "एक बार संयुक्त चयन होने के बाद- और एक सामान्य अधिकार तैयार होने के बाद, निश्चित रूप से योग्यता में उच्च व्यक्तियों को योग्यता में निम्न व्यक्तियों की तुलना में नियुक्ति का पूर्व अधिकार होता है, यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन होगा।"सैद्धांतिक रूप से, पीठ द्वारा व्यक्त विचार के संबंध में कोई

विवाद नहीं हो सकता है।हालाँकि, पीठ निर्देश देने के लिए आगे बढ़ी, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।इसने राज्य को निर्देश दिया कि जब तक योग्यता में उच्च स्तर के सभी उम्मीदवारों की नियुक्ति नहीं हो जाती, तब तक वे सूची से नियुक्तियां करें।यह अभिनिर्धारित किया गया था कि योग्यता सूची समाप्त नहीं होगी।इसका सीधा परिणाम यह है कि राज्य को पदों का विज्ञापन करने से रोक दिया गया था।

(19) क्या ये निर्देश कानून के अनुरूप हैं?

(20) याचिकाकर्ताओं की ओर से और हरियाणा राज्य और बोर्ड की ओर से भी यह तर्क दिया गया है कि ये * निर्देश भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का पूरी तरह से उल्लंघन करते हैं।हालांकि, जोड़े गए प्रतिवादी के लिए विद्वान वकील इस दावे का विरोध करते हैं।श्री बी. आर. गुप्ता, जो अतिरिक्त प्रतिवादी में से एक की ओर से पेश हुए, ने प्रस्तुत किया कि वह योग्यता सूची में क्रम संख्या 64 पर थे और उन्हें अभी तक नियुक्त नहीं किया गया है।श्री आर. के. मलिक ने हालांकि कहा कि वास्तव में पीठ द्वारा दिए गए निर्देश न्यायसंगत और निष्पक्ष थे।

(21) पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, हम पाते हैं कि सुदेश कुमारी के मामले में पूर्ण तथ्यों को पीठ के ध्यान में नहीं लाया

गया था।निर्णय के अवलोकन पर, हम पाते हैं कि क्या बोर्ड के पास पीठों की सही संख्या के लिए मांग की गई थी और न ही योग्यता सूची में जिन व्यक्तियों के नाम शामिल किए गए थे, उन्हें विशेष रूप से पीठ को बताया गया था।यह केवल उल्लेख किया गया था कि मांग 1,000 से अधिक पदों के लिए थी।यह तथ्यतः सही नहीं था।इस स्थिति में, पीठ का इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया गया कि बोर्ड ने निम्नलिखित निर्देशों का उल्लंघन करते हुए एक योग्यता सूची तैयार की थीः

सरकार और उन पदों की संख्या से कहीं अधिक जिनके लिए उसे एक मांग भेजी गई थी।इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पक्षों ने न्यायालय को सही तथ्यों का खुलासा नहीं किया था और इसके परिणामस्वरूप पीठ को उपरोक्त उल्लिखित निर्देश देने के लिए राजी किया गया था।चूंकि तथ्यात्मक/स्थिति को सही ढंग से न्यायालय के ध्यान में नहीं लाया गया था, इसलिए मामले की नए सिरे से जांच की जानी चाहिए।

(22) वास्तव में, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 की ओर से दायर शपथ पत्र में यह कहा गया है कि "विज्ञापन के समय कुल मिलाकर क्लर्कों के 662 पदों की मांग की गई थी" और "बोर्ड ने 5,373 उम्मीदवारों का चयन किया था"।ऐसा होने के कारण, हमारा मानना है कि बोर्ड ने 5,373 उम्मीदवारों का चयन करने में गलती की थी।हमारे विचार में, बोर्ड को

सरकार द्वारा जारी निर्देशों और उन पदों के लिए चयन करना था जिनके लिए उसे अनुरोध भेजा गया था।यह सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप ही प्रतीक्षा सूची तैयार कर सकता था।वह ऐसा करने में विफल रहा।जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, बोर्ड निर्धारित संख्या से अधिक चयन करने के लिए बाध्य नहीं था।इस तरह के चयन ने उन व्यक्तियों को कोई अधिकार प्रदान नहीं किया, जिनके नाम योग्यता सूची में शामिल किए गए थे।संभवतः, यदि इन तथ्यों को पीठ के संज्ञान में लाया गया होता, तो उसने उपरोक्त निर्देश नहीं दिए होते।

(23) यह सच है कि योग्यता में उच्च व्यक्ति को उससे निचले लोगों की तुलना में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने का बेहतर अधिकार है।इस संदर्भ में, पीठ की यह टिप्पणी कि प्रतिवादी की कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करने वाली थी, सही है।हालाँकि, इस मामले के विशिष्ट तथ्यों में, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जब बोर्ड योग्यता सूची से अलग हो जाता है और योग्यता में उच्च व्यक्तियों की अनुचित रूप से उपेक्षा करता है तो इसकी कार्रवाई संदिग्ध है और इसे दरकिनार कर दिया जाना चाहिए।संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करने वाले ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति को रद्द कर दिया जाना चाहिए, जो योग्यता के मामले में उससे ऊंचे लोगों से कम है।ऐसा करने

के बजाय, पीठ उपरोक्त निर्देश देने के लिए आगे बढ़ी।परिणाम यह हुआ कि बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के अधिकार, जो पदों के विज्ञापन के बाद पात्र हो गए होंगे, आने वाले वर्षों के लिए कम कर दिए गए थे।जैसा कि प्रतिवादी ने बताया, बोर्ड द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची अगले एक दशक तक जारी रहेगी।इस लंबी अवधि के दौरान, असंख्य योग्य उम्मीदवार क्लर्क के पदों पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के अपने अधिकारों से वंचित रहेंगे।यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत उनके अधिकारों का पूरी तरह से उल्लंघन होगा।

(24) नतीजतन, हम मानते हैं कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उस मामले में पूर्ण तथ्यों का खुलासा किए बिना निर्देश प्राप्त किए गए थे

न्यायालय और इस मामले के विशिष्ट तथ्यों में, इन निर्देशों को कायम नहीं रखा जा सकता है।ये याचिकाकर्ताओं और बड़ी संख्या में अन्य व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, जिन्हें न्यायालय के ध्यान में सही तथ्य लाने का कोई मौका नहीं दिया गया था।नतीजतन, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 इन निर्देशों से बाध्य नहीं होंगे।

(25) हालांकि, अतिरिक्त प्रतिवादी की ओर से पेश श्री मलिक ने कहा कि वास्तव में लगभग 5,000 रिक्तियां उपलब्ध थीं और वास्तव में उन

व्यक्तियों द्वारा कब्जा कर लिया गया था, जिन्हें तदर्थ आधार तदर्थ नियुक्त किया गया था।उन्होंने आगे कहा कि प्यारा सिंह के मामले में दिए गए निर्देशों और राज्य सरकार द्वारा लिए गए विभिन्न नीतिगत निर्णयों के अनुसार उनकी सेवाओं को नियमित किया गया है।

(26) हम इस तर्क को प्रतिग्रहण करना करने में असमर्थ हैं।न्यायालय के निर्णय और सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों के अनुसार सेवाओं को नियमित करने का आदेश दिया गया था।इन निर्णयों की वैधता को चुनौती नहीं दी गई है, इसलिए तर्क का आधार मौजूद नहीं है।दूसरा, भले ही यह माना जाए कि पद उपलब्ध थे, हमारा विचार है, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, कि बोर्ड केवल उन पदों के संबंध में चयन कर सकता था जिनके लिए उसे एक अनुरोध भेजा गया था।सरकार के निर्देशों या उसे भेजी गई मांग का उल्लंघन करते हुए योग्यता सूची तैयार करने का इसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।बोर्ड की कार्रवाई अधिकार क्षेत्र के बिना होने के कारण, अतिरिक्त प्रतिवादी पदों की उपलब्धता के तथ्य से कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं।तदर्थदततदर्थूतदर्थसतदर्थरतदर्थातदर्थ,तदर्थ

तदर्थततदर्थदततदर्थरतदर्थ्तदर्थथतदर्थ

तदर्थकतदर्थरतदर्थ्तदर्थमतदर्थचतदर्थातदर्थरतदर्थीतदर्थ तदर्थएतदर्थकतदर्थ

तदर्थअतदर्थलतदर्थगतदर्थ तदर्थवतदर्थरतदर्थ्तदर्थगतदर्थ तदर्थकतदर्थेतदर्थ तदर्थहतदर्थोतदर्थततदर्थेतदर्थ तदर्थहतदर्थैतदर्थंतदर्थ।तदर्थजोड़ा गया प्रतिवादी उन पदों के संबंध में कोई अधिकार का दावा नहीं कर सकता है।तीसरा, हमारे इस निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए कि केवल चयन से कोई अधिकार नहीं मिलता है, पदों की उपलब्धता अतिरिक्त प्रतिवादी को यह दावा करने का अधिकार नहीं देगी कि खण्ड पीठ द्वारा दिए गए निर्देशों को लागू किया जाना चाहिए।

(27)श्री मलिक ने यह भी तर्क दिया कि उन व्यक्तियों के पूर्वाग्रह के लिए कोई आदेश, जो इस मामले में पक्ष नहीं हैं, इस पीठ द्वारा पारित नहीं किया जा सकता है।एक सामान्य नियम के रूप में, यह सही है कि किसी व्यक्ति को सुने बिना उसके पूर्वाग्रह का कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है।हालाँकि, वर्तमान मामले में विशिष्ट स्थिति यह है कि बोर्ड ने उन पदों से अधिक योग्यता सूची तैयार की जो प्रासंगिक समय पर उपलब्ध थे।याचिकाकर्ताओं का अनुरोध है कि सरकार द्वारा जारी निर्देशों को देखते हुए योग्यता सूची, जिसे अब प्रतीक्षा सूची के रूप में माना जा रहा है, को रद्द किया जाना चाहिए।हम पहले ही मान चुके हैं कि बोर्ड 5,373 उम्मीदवारों की योग्यता सूची तैयार नहीं कर सकता था और चयनित व्यक्तियों को नियुक्त होने का कोई अक्षम्य अधिकार

नहीं है।इसके अलावा, सरकार द्वारा जारी निर्देशों के संदर्भ से पता चलता है कि तारीख से एक वर्ष की समाप्ति पर

सिफारिश के बाद, सूची स्वचालित रूप से समाप्त हो जाती है।इन निर्देशों की वैधता पर हमारे सामने सवाल भी नहीं उठाया गया है।इस स्थिति में, यह स्पष्ट है कि सूची अपने आप 9 अक्टूबर, 1990 को समाप्त हो गई थी।ऐसा होने पर, हम केवल कानून की स्थिति का प्रतिपादन कर रहे हैं।इसके अलावा, चयनित उम्मीदवारों के दृष्टिकोण को हमारे सामने विधिवत प्रस्तुत किया गया है।तदनुसार, हमारी राय है कि रिट याचिका को इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि आवश्यक पक्ष हैं।शामिल नहीं किया गया है।श्री मलिक द्वारा उठाई गई आपत्ति को तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।

(28) श्री मलिक द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया कि कुछ चयनित उम्मीदवारों ने याचिकाएं दायर की हैं जिन्हें इस न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई है।हालाँकि, विद्वान वकील ने किसी विशेष मामले या निर्णय का संदर्भ नहीं दिया।यह मानते हुए कि सुदेश कुमारी के मामले में दिए गए समान निर्देश दिए गए थे, हमारी राय है कि पक्षकारों ने न्यायालय को पूर्ण तथ्यों का खुलासा नहीं किया है और निर्देश संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन कर रहे हैं, इस मामले में प्रतिवादी संख्या 1 और 2 पर बाध्यकारी नहीं होंगे।

(29) अतिरिक्त प्रतिवादी में से एक के वकील श्री बी. आर. गुप्ता ने

प्रस्तुत किया कि आवेदक को इस तथ्य के बावजूद नियुक्त नहीं किया गया था कि उसे योग्यता सूची में नंबर 64 पर रखा गया था।यदि यह सच है तो यह सरासर अनुचित है।

(30) फैसला देने से पहले, हम उस तरीके पर अपनी निराशा और अप्रसन्नता व्यक्त करने के लिए विवश हैं जिस तरह से बोर्ड ने वर्ष 1989 में काम किया था।हमें यह बताया गया है कि बोर्ड ने न केवल उन पदों की संख्या से अधिक चयन किया जिनके लिए उसके साथ एक मांग रखी गई थी, बल्कि इसमें उन उम्मीदवारों के नाम भी शामिल और अनुशंसित किए गए हैं जिन्होंने लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त नहीं की है) उदाहरणों को उद्धृत किया गया है) यह दर्शाता है कि बोर्ड की सिफारिशों में "राजनीतिक निहितार्थ" थे।" यह भी बताया गया है कि कुछ उम्मीदवारों के नाम योग्यता सूची में एक से अधिक स्थानों पर दिखाई देते हैं।जिन उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा भी उत्तीर्ण नहीं की थी, उनके नामों की सिफारिश जानबूझकर राजनीतिक विचारों के तहत अत्यधिक मूल्यवान विभाग यानी आबकारी और कराधान विभाग को की गई थी।

(31) हम इस बात पर ध्यान देने से बेहतर नहीं कर सकते कि हरियाणा अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा कृष्ण यादव और एक अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य में किए गए कराधान निरीक्षकों के

चयन से निपटने के दौरान कुछ हद तक इसी तरह की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के उनके नेतृत्व ने क्या देखा।(सिविल अपील संख्या 1993 की 726 और 727)।उनके प्रभुओं ने कहा कि "धोखाधड़ी अपने चरम पर पहुँच गई है।इस तरह के अनैतिक कार्यों की कल्पना भी नहीं की जा सकती

प्रतिबद्ध हों।" उनके प्रभुत्त्वों को आगे निम्नलिखित रूप में पालन करने में खुशी हुईः–

> "यह अत्यंत खेदजनक है कि बड़े और छोटे दोनों सार्वजनिक पदों के धारक भूल गए हैं कि उन्हें सौंपे गए पद पवित्र विश्वास हैं।इस तरह के कार्यालय उपयोग के लिए होते हैं न कि दुरुपयोग के लिए।मंत्री से लेकर मामूली व्यक्ति तक हर कोई अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए बेईमान रहा है।पूरी परीक्षा और साक्षात्कार उन लोगों के मूल चरित्र का प्रदर्शन करने वाले प्रहसन साबित हुए हैं जो इस घृणित घटना के लिए जिम्मेदार रहे हैं।इस तरह की व्यवस्थित धोखाधड़ी का सामना करना हमारी अंतरात्मा को झकझोर देता है।"

इस मामले में स्थिति लगभग समान है।

(32) रूस के ज़ार निकोलस ने एक बार कहा था, "मैं रूस पर शासन नहीं करता; दस हजार पादरी करते हैं।" भारत में हम दुनिया की सबसे बड़ी नौकरशाही का समर्थन करते हैं।अकेले केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन बिल 15,000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष से अधिक है।विभिन्न राज्यों में भी यही स्थिति है।इस प्रकार यह सर्वोपरि महत्व का है कि लोक सेवा आयोग और चयन बोर्ड जैसे सभी निकाय बिना किसी भय या पक्षपात, स्नेह या दुर्भावना के अपनी योग्यता के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करें और केवल योग्यता के आधार पर सिविल पदों पर काम करने के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों का चयन करें।चयन में प्रत्येक नागरिक की रुचि होती है।इस नौकरी को सौंपे गए व्यक्तियों को अपने पद का उपयोग सर्वश्रेष्ठ का चयन करने के लिए करना चाहिए न कि इसका 'दुरुपयोग' करना चाहिए।प्रशासनिक सुधारों की शुरुआत चयन बोर्डों और सेवा आयोगों के लिए उचित व्यक्तियों के चयन से होनी चाहिए।तभी हमारे लिए प्रशासन में अक्षमता और भ्रष्टाचार की समस्याओं का सामना करने में अक्षमता और भ्रष्टाचार की समस्याओं का सामना करने में कुछ प्रगति करना संभव हो सकता है।इन निकायों के सदस्यों को अपने से अधिक राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देनी चाहिए।हम आशा और विश्वास करते हैं कि उत्तराधिकारी बोर्ड वह नहीं करेंगे जो 1989 में किया गया था।

(33) मामला विचार करने और इस मामले के विशेष तथ्यों को ध्यान में रखने के बाद, हम यह धारणा करते हैं कि :

(i) इस मामले को विचार करने के बाद और इस मामले की विशेष तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, हम यह निर्णय लेते हैं कि: चयन समिति उस संख्या से अधिक चयन नहीं कर सकती जिसके लिए उसके समक्ष एक अनुरोध रखा गया है। समिति द्वारा तैयार की गई प्रतीक्षा सूची को सरकार द्वारा निर्धारित संख्या में ही सीमित रखना चाहिए।

(ii) चयनित उम्मीदवारों को उन पदों पर नियुक्त होने का कोई अविचलनीय अधिकार नहीं है, जिनके लिए उन्हें चयन किया गया है।

(iii) सुदेश कुमारी के मामले में बेंच द्वारा दी गई दिशानिर्देशों में विशेष रूप से यह प्रभाव नहीं है कि 1989 के 15 अक्टूबर को तैयार की गई चयन सूची का समाप्त होने का कोई विधि के साथ समानता है।

(iv) हरियाणा के उत्तर-प्रतिवादी राज्य को विचार करना होगा उन व्यक्तियों के मामलों का, जिन्होंने योग्यता सूची में शामिल होने के लिए आवश्यक प्रतिशत अंक नहीं प्राप्त किए थे और जिनकी संख्या समिति को भेजी गई पदों की संख्या के अंदर नहीं थी। यह विधि के अनुसार आदेश देगा।

(v) समिति द्वारा 15 अक्टूबर 1989 को तैयार की गई सूची एक वर्ष की मान्यता रखती थी। अगर कोई उम्मीदवार जिसका नाम सीनियर नंबर 662 तक था, अब तक नहीं नियुक्त किया गया है, तो राज्य उसकी दावा को विचार करेगा और उसे नियुक्त करेगा। 15 अक्टूबर 1990 से उत्पन्न होने वाली सभी रिक्तियों को पुनः विज्ञापित किया जाएगा और उन रिक्तियों के खिलाफ चयनित उम्मीदवारों में से भर्ती की जाएगी।

34. उपरोक्त शर्तों में राइट याचिका मान्य है। मामले के परिस्थितियों में खर्चों के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

<u>अस्वीकरण:</u> स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

दीपाली सिंगला

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

फ़रीदाबाद, हरियाणा